

भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.80
दिनांक 03 फरवरी, 2020

तेल की बढ़ती मांग

80. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदा शवराव मांड लक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, वर्ष 2020 के मध्य तक भारत की तेल-मांग में वृद्ध चीन से अधिक हो जाएगी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने द्वारा देश में पेट्रो लयम और पेट्रो लयम उत्पादों की बढ़ती मांग से निपटने के लिए नीति तैयार की है तैयार करने की संभावना है;
- (घ) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पेट्रो लयम उत्पादों का पर्याप्त भंडार बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार तेल और पेट्रो लयम उत्पादों पर निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के कुछ अन्य वैकल्पिक साधनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 के अनुसार, कुल प्राथमिक ऊर्जा में भारत की तेल की मांग 2018 में 233 मिलियन टन तेल समतुल्य (एम टी ओ ई) से बढ़कर 2025 में 305 एम टी ओ ई होने का अनुमान है, जबकि चीन की तेल की मांग 2018 में 593 एम टी ओ ई से बढ़कर 2025 में 672 एम टी ओ ई होने का अनुमान है।

(ग) सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने, मांग प्रतिस्थापन पर जोर डालने, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण बढ़ाने, जैव ईंधनों और वैकल्पिक ईंधनों/सवीकरणीय ईंधनों पर अप्रयुक्त क्षमता के मौद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें पहलों की श्रृंखला शामिल है जैसे हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संवदा (पीएससी) के तहत छूटों, वस्तारों और

स्पष्टीकरणों से जुड़ी नीति, खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस संग नीति, कोल बेड मथेन के शीघ्र मौद्रीकरण संबंधी नीति, नेशनल डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, तलछटीय बेसनों में गैर मूल्यांकन क्षेत्रों का मूल्यांकन, हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनः मूल्यांकन एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी संवदाओं की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए नीतिगत ढांचा, तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संवदाओं के तहत गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा, कोल बेड मीथेन संवदाएं और नामांकन क्षेत्र संबंधी नीति।

सरकार ने फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसेंस संग नीति में मुख्य सुधार अनुमोदित किये ताकि अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाया जा सके, घरेलू और वदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य कार्यक्रम को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देकर अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और संवदागत शर्तों का सरलीकरण करना, सरकार को किसी उत्पादन या राजस्व हिस्सेदारी के बिना तलछटीय बेसनों की श्रेणी II और III में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली लगाना, राजकोषीय प्रोत्साहनों को बढ़ाकर खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण, वपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित गैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी और पूंजी को शामिल करना, नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों के लिए सहयोग हेतु राष्ट्रीय तेल कंपनियों को और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अपेक्षाकृत अधिक कार्यात्मक स्वतंत्रता देना, इलेक्ट्रॉनिक एकल खड़की व्यवस्था सहित अनुमोदन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।

(घ) इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लि. (आईएसपीआरएल) ने 3 स्थानों अर्थात् (i) वशाखापटनम (1.33 एमएमटी), (ii) मंगलुरु (1.5 एमएमटी) और (iii) पादुर (2.5 एमएमटी) में एसपीआर सुवधाएं पहले ही सृजित कर दी हैं। सरकार ने 6.5 मीलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त भूमगत चाली कंदरा एसपीआर सुवधाओं के सृजन के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया है।

(ङ) सरकार देश में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क की कवरेज बढ़ाकर पर्यावरण अनुकूल दुलाई ईंधन अर्थात् सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मश्रण के जरिए एथेनॉल और जैव-डीजल (ईबीपी) कार्यक्रम और डीजल में जैव-डीजल के मश्रण जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल भी की हैं। देश में जैव ईंधनों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 बनाई है।
